रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1986/पौष 10, 1908
No. 636] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC. 31, 1986/PAUSA 10, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली 31 दिसम्बर, 1986

अधिसूचना

सं. 519/86-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 1350(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1986 (1986 का 23) की धारा 49 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान होने पर कि

ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 314/86-सीमाशुल्क, तारीख 13 मई, 1986 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टी का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 355/143/84-सी-शु. 1]

सी०पी० श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 31st December, 1986

NOTIFICATION

No. 519|86-CUSTOMS

G.S.R. 1350(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 49 of the Finance Act, 1986 (23 of 1986), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 314|86-Customs, dated the 13th May, 1986, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, Sl. No. 1 and the entry relating thereto shall be omitted.

[F. No. 355|143|84-Cus. I]

C. P. SRIVASTAVA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987